पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा -अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर पायलट ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किये जाने पर भी संतोष प्रकट किया और कहा कि, समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए यह बहुत ही जरुरी कदम है।

'देश की प्रगति के लिए बड़े कैनवास पर काम करने की जरूरत'

प्र.मंत्री मोदी ने नये संसद भवन में कार्यवाही शुरु होने से पहले पुराने संसद भवन में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया

- **प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम ''संविधान सदन'' रखने का प्रस्ताव किया और समारोह में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला तथा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से इस प्रस्ताव कार्यवाही करने का भी अनुरोध किया।**

नयी दिल्ली, 19 सितम्बर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि, संसद को अमृत काल के अगले 25 वर्ष में बड़े कैनवास पर मिलकर काम करना है और जनता की आकांक्षाओं के अनुसार नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार लाकर देश की सर्वांगीण प्रगति को गति देनी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले नये कानून बनाएं और पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त करें। उन्होंने कहा कि भारत इस समय दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। पूरी दुनिया हमें अपेक्षा से देख रही है। उनका कहना था कि असंतुलित विकास समृद्धि नहीं दे सकता इसलिए सर्वांगीण विकास की दिशा में एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।

मोदी ने मंगलवार को नये संसद भवन में कार्यवाही शुरु होने से पहले पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित दोनों सदनों के विशेष संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए पुराने संसद भवन का नाम 'संविधान सदन' रखने का प्रस्ताव किया और समारोह में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला तथा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से इस प्रस्ताव कार्यवाही करने का भी अनुरोध किया।

उन्होंने कहा, ''आज हम यहां से विदा लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये बहुत शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन वहां बैठ रहे हैं। हम सब भाग्यवान है कि आज भारत उम्मीदों की उस ऊंचाई पर है जो शायद पिछले एक हजार साल में भी नहीं रही होगी। हम यहां से उठकर एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प और निश्चय के साथ नये संसद भवन में जा रहे हैं। यह क्षण भावुकता है लेकिन कर्तव्य पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। संविधान सदन हमें दिशा देता रहेगा और हमें याद दिलाता रहेगा उन महान विभूतियों की जो संविधानसभा के सदस्य थे और जिन्होंने हमारा संविधान गढकर हमें दिया।

मोदी ने कहा समय की मांग है कि आत्म निर्भर भारत के संकल्प पूरा करना है उसमें दल आड़े नहीं आते हैं इसके लिए सिर्फ दिल चाहिए और वह दिल सिर्फ देश के लिए चाहिए। हमें प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर सुधार करने होंगे। निर्णय करते समय लोगों की आकांक्षा हमारी सोच में सबसे ऊपर होनी चाहिए। हमें अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाना है। नयी उम्मीदों के बीच संसद का यह सर्वोच्च दायित्व है कि वह जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नये कानून बनाए और पुराने पड़ चुके कानूनों को निरसन करे।

प्रधानमंत्री ने कहा भारत आज विश्वमित्र के रूप में उभर रहा है। जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत ग्लोबल साउथ (गरीब और विकासशील देशों) की आवाज बना। भारत नई ऊर्जा से भरा हुआ है। हमारी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार अच्छी है। पूरी दुनिया मानती है कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं और दुनिया हमारी ओर उम्मीद की नजर लगाए है। संसद का केंद्रीय कक्ष हमें हमारे कर्तव्यों को पूरा करने कील प्रेरणा देता है। यह वही ऐतिहासिक स्थल है जहां हमारे संविधान ने मूर्तरूप ग्रहण किया। यही सदन है जहां अंग्रेजों ने सत्ता हमें सौंपी और इसी जगह संविधान सभा की बैठकें हुईं।

मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पहुंचे पायलट, प्रदेश की समृद्धि की प्रार्थना की

महिला आरक्षण विधेयक पर पायलट ने कहा, यह तो कांग्रेस की पुरानी मांग है

- **पायलट ने कहा कि, बिल पेश तो हुआ, पर 2029 में ही लागू हो पाएगा, इससे लगता है सरकार की नीयत नहीं है इसके क्रियान्वयन की।**
- **पायलट ने कोटा में बच्चों के आत्महत्या के मामलों में निरंतर वृद्धि होने पर गंभीर चिंता जताई तथा काउन्सिलिंग पर जोर दिया।**

जयपुर 19 सितंबर । कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य सचिन पायलट ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

यहां सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल आया है। यह कांग्रेस की पुरानी मांग थी और अब बिल प्रस्तुत किया गया है। यह बिल पहले आना चाहिए था। अब बिल आ गया है, लेकिन अब सुनने में आया है कि यह लागू 2029 में होगा। सवाल इस बात का है कि, अभी क्यों नहीं ? इससे लगता है कि सरकार की नीयत और मंशा में फर्क हैं। अगर सभी दलों की सहमति है, तो फिर अभी क्यों लागू नहीं कर रहे हैं।

कोटा में बच्चों द्वारा लगातार की जा रही आत्महत्याओं के मामलों पर सचिन पायलट ने कहा, मैं खुद दुख प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री खुद कोटा गये थे और इस मसले पर बोले भी थे। मैं कहता हूं कि, काउन्सलिंग के साथ-साथ यह जांच भी जरूरी है कि, ये लगातार क्यों हो रहा है। यह इस प्रकार चलता रहा तो समाज के लिए अच्छी बात नहीं।

कांग्रेस की चुनावी तैयारी पर उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर आयेंगे और हमारी पार्टी के नए कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी बांसवाड़ा आए थे। खड़गे भीलवाड़ा आए थे। प्रियंका गांधी टोंक आई थीं। अब दोनो नेता जयपुर आएंगे ,तो उनके आने से कार्यकताओं में उर्जा का संचार होगा। हमारी पार्टी ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है और सभी सरकार को रिपीट कराना चाहते हैं।

लश्कर के दो आतंकी मारे गये

श्रीनगर, 19 सितंबर (वार्ता)। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के गडोले कोकरनाग इलामें में जारी मुठभेड़ में मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर समेत दो आतंकवादी मारे गये। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने आज कोकरनाग में संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इलाके में दो से तीन आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों और पुलिस ने गत बुधवार से संयुक्त अभियान छेड़ा था। दोनों पक्षों के बीच जारी मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गये हैं। इनमें एक आतंकवादी का शव बरामद कर लिया गया है जिसकी पहचान लश्कर-ए-तैयबा कमांडर उजैर खान के रूप में की गयी है। कुमार ने बताया कि तलाश अभियान अभी जारी रहेगा। उन्होंने अभियान जारी रहने तक लोगों से इलाके में न जाने की सलाह दी है। मुठभेड़ की शुरुआत के दिन लापता पुलिस जवान प्रदीप का शव सोमवार को मिला था।

'जब महिलायें सियाचिन में तैनात हो सकती हैं तो है तो पुरुष नर्स क्यों नहीं बन सकते'

- **दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की वकालत करते हुए यह बड़ी टिप्पणी की।**

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की वकालत करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जब एक महिला अधिकारी को सियाचिन में तैनात किया जा सकता है तो एक पुरुष को सेना में नर्स के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ सैन्य प्रतिष्ठानों में केवल महिला नर्सों को रखने की कथित असंवैधानिक प्रथा के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसके साथ ही विषय को महत्वपूर्ण बताते हुए पीठ ने याचिका को नवंबर में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

केन्द्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सेना में प्रथाएं लंबे समय से चली आ रही परंपराओं पर आधारित हैं। हालांकि, पीठ ने कहा कि सरकार अभी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक कानून लेकर आई है। एक तरफ आप महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे है और वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पुरुष नर्स के रूप में शामिल नहीं हो सकते। अदालत ने कहा- यदि एक महिला (अधिकारी) को सियाचिन में तैनात किया जा सकता है तो एक पुरुष आर एंड आर (अस्पताल) में काम कर सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने की अनुमति दी है। उच्चतम न्यायालय ने बार-बार माना है कि कोई लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।

पूर्व आईजी को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि, इतने सालों बाद चार्जशीट देना गलत है। रिटायर होने के बाद किसी गंभीर मामले में ही दंडित किया जा सकता है। जबकि याचिकाकर्ता को जिस मामले में दंडित किया गया है, वह ज्यादा गंभीर नहीं है। ऐसे में उन्हें रिटायर होने के बाद दंडित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट में 24 साल चली इस याचिका के लंबित रहने के दौरान करीब 13 साल पहले रामानुज शर्मा का निधन हो गया। इस पर उनके उत्तराधिकारी ने याचिका को जारी रखा।

कैनडा के प्र.मंत्री...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

धमकियाँ मिली हैं और जब अलगाववादियों ने बदले की धमकी देते हुए उनके फोटो और नाम पोस्टरों पर छापे तब उन्हें कैनडा से बाहर पदस्थापित किया गया। निज्झर के संरक्षक और एक अन्य घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह द्वारा प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने वाले वीडियो भी सामने आए हैं, जबकि उसे कैनडा द्वारा सुरक्षा प्रदान की हुई है।

सूत्रों ने पूर्व में कैनडा को जारी की गई कई आपत्तियों की याद दिलाई, जिनमें चार वर्ष पूर्व किसान आंदोलन पर की गई ट्रूडो की टिप्पणी भी शामिल है, जिससे उत्साहित खालिस्तानी अलगाववादी कैनडा में भारतीय उच्चायोग के सामने एकत्रित हो गए थे और सुरक्षा का मुद्दा पैदा हो गया था। पिछले माह भारत ने सुझाव दिया था कि, भारतीय राजनयिकों और मिशनों की सुरक्षा को मिल रही धमकी की जांच के लिए एन.आई.ए. की टीम को भेजा जाय, मगर कैनडा ने इंकार कर दिया था। कैनडा में कथित तौर पर अवैध प्रवेश करने वाले निज्झर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित एक गुरूद्वारे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने पहले ही उसे आतंकवादी घोषित कर दिया था।

इसके और व्यापक प्रभाव होने की संभावना है, जिसमें प्रतिष्ठा भी शामिल है और बाद का प्रभाव भारत के भीतर और बाहर एक सा नहीं होगा। सूत्रों ने कहा कि, ट्रूडो ने तभी भारत के विरूद्ध आक्रामक होने का मानस बना लिया था, जब उनके विशेष विमान में खराबी के कारण उन्हें भारत में रूके रहना पड़ा था। उस योजना के तहत उन्होंने अपने एन.एस.ए. जोडी थॉमस को लंदन भेजा, ब्रिटिश एन.एस.ए. को सारी सूचना देने के लिए, जबकि उन्होंने खुद फोन पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं को इस घटनाक्रम की सूचना दी।

सूत्रों ने कहा, ''हम एक प्रजातंत्र हैं जो कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानियों और आतंकवादियों से ध्यान हटाते हैं जिन्हें कैनडा में आश्रय दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले में कैनडा की सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और लगातार चिंता का विषय बनी हुई है।''

''कैनडा में हत्याएं, मानव तस्करी और संगठित अपराधों को जो जगह दी गई है वो कोई नई बात नहीं है। हम भारत सरकार को इन चीज़ों से जोड़ने के प्रयासों को खारिज करते हैं। हम कैनडा सरकार से निवेदन करते हैं कि, वह अपनी धरती पर भारत विरोधी कार्रवाई करने वाले सभी तत्वों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करे।'' ट्रूडो ने कहा, ''आज हमें इन आरोपों का पता चला कि, भारत सरकार के एजेंटों ने कैनडा के हारदीप सिंह निज्झर की कैनडा की धरती पर ही हत्या कर दी। सभी कैनडावासियों से मेरा वादा है कि मैं न्याय के लिए हरसंभव कोशिश करूंगा, नरेन्द्र मोदी को जिम्मेवार ठहराने सहित। कैनडा की धरती पर यहां के नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार का हाथ होना स्वीकार्य नहीं है और यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। यह उन आधारभूत नियमों के विरूद्ध है जिनसे आजाद, खुले और जनतांत्रिक समाज व्यवहार करते हैं।''

जब कैनडा के प्रधानमंत्री ने हरदीप सिंह निज्झर की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया उसके तुरंत बाद अमेरिका ने कहा कि वह इन आरोपों को लेकर बहुत चिंतित है। यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने एक ई-मेल पर कही। उन्होंने कहा, ''यह महत्वपूर्ण है कि, कैनडा की जांच आगे बढ़े और दोषियों को सजा मिले।'' भारत के पूर्व राजनयिक के.सी. सिंह ने दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों पर कहा कि, एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक पर ऐसा आरोप लगाना दुर्लभ है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''जी 7 और नाटो के सदस्य द्वारा तो बिल्कुल नहीं। भारत को इसे आते हुए देख लेना चाहिए था। ट्रूडो को भारत यात्रा के दौरान नीचा दिखाने की बजाय उन्हें जोड़ना चाहिए था। अब स्थिति सुलझने के कगार से दूर जा चुकी है।

राउज़ एवेन्यु...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने संजीवनी घोटाले में गहलोत की ओर से उनके खिलाफ बयानबाजी करने पर आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गहलोत को समन जारी कर तलब किया था।

'सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल पर वैट की कटौती करने के लिये कमेटी का गठन अभी तक नहीं किया'

पैट्रोलियम डीलर्स संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भाटी ने सरकार की लेट लतीफी पर हैरानी जताई

-यादवेंद्र शर्मा-

- **पेट्रोलियम डीलर्स संघ के अध्यक्ष का कहना है कि, वह अपने ''शिड्यूल'' पर अडिग रहेंगे और 24 तारीख तक हड़ताल पुनः आरंभ नहीं करेंगे।**
- **संघ के अध्यक्ष ने कहा कि, इस बार 24 तारीख के बाद वह लोगों की मांग को देखते हुए ज्यादातर बड़े जिलों में हड़ताल शुरू करेंगे।**

जयपुर, 19 सितम्बर। प्रदेश में पेट्रोल पंप डीलर्स संघ की ओर से हड़ताल को स्थगित करे हुए चार दिन बीत चुके हैं, परंतु राज्य सरकार ने अभी तक भी ''एम्पावर्ड कमेटी'' का गठन भी नहीं किया है, जो पेट्रोलियम डीलर्स के साथ चर्चा करके वैट की दरें संशोधित कर कम करने का सुझाव देगी। जैसा कि विदित है कि गत शुक्रवार को राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स संघ की ओर से उनकी हड़ताल पर इस शर्त पर स्थगित किया गया था कि राज्य सरकार ''एम्पावर्ड कमेटी'', जिसमें कम से कम तीन जने पेट्रोलियम डीलर्स संघ के होंगे, का गठन कर वैट की दरें कम करने का सुझाव राज्य सरकार को देगी, और वह उस पर अमल भी करेगी।

सचिवालय में हुई प्रैस कॉन्फ्रैंस में जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछा गया था कि राज्य सरकार ''एम्पावर्ड कमेटी'' के गठन के लिये आदेश कब पारित करेगी, तब उन्होंने भरोसे के साथ ऊंचे स्वरों में कहा था, ''हमने मीडिया में बयान दे दिया है तो इसे आदेश ही समझें।'' प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया को यह भी बताया था कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स संघ के तीन सदस्यों के अलावा वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया जायेगा, जो सभी संबंधित पार्टियों से चर्चा कर पेट्रोलियम पर वैट की दरें कम करने का सुझाव राज्य सरकार को देगी। उन्होंने मीडिया को कहा था कि उनकी पेट्रोलियम डीलर्स संघ के अधिकारियों से चर्चा कई दिनो से चल रही थी, और उनका मानना है कि वैट की दरें कम करने से ना केवल उपभोक्ताओं को लाभ होगा बल्कि राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को ''एम्पावर्ड कमेटी'' के गठन के संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश पारित नहीं किये गये, तब मीडिया को यह बताया गया था कि वित्त सचिव सरकारी कार्य से प्रदेश के बाहर गये हुए हैं, उनके आते ही राज्य सरकार कमेटी का गठन भी करेगी ओर आदेश भी पारित करेगी। परंतु सोमवार व मंगलवार को भी राज्य सरकार ने किसी भी कमेटी के गठन के आदेश पारित नहीं किये। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स संघ के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी ने हैरानी जताते हुए कहा कि यह सही बात है कि सचिवालय की बैठक के चार दिन बाद भी राज्य सरकार ने किसी कमेटी का गठन नहीं किया है जबकि कमेटी को ही 10 दिन का समय अपना प्रस्ताव पेश करने के लिये समय दिया गया था।

उन्होंने कहा कि वह अभी भी अपने दिये गये बयान पर टिके रहेंगे और 24 तारीख तक हड़ताल पुनःआरंभ नहीं करेंगे, ''हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम गलत नहीं हैं, पर सरकार गलत है, क्योंकि उसने सबके सामने मीडिया में दिये अपने बयान पर भी खरी नहीं उतरी।'' उन्होंने आगे कहा कि इस बार राज्य सरकार ने अपने दिये गये वचन पर नहीं चले तो 24 तारीख के बाद वह लोगों की मांग को देखते हुए ज्यादातर बड़े जिलों में हड़ताल शुरू करेंगे।

नए भवन में कार्यवाही स्थगन के साथ राज्यसभा की शुरुआत हुई

- **सदन की शुरुआत होते ही कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गयी।**

नई दिल्ली, 19 सितम्बर (वार्ता)। नये संसद भवन में राज्यसभा की कार्यवाही की शुरूआत स्थगन के साथ ही हुई और सदन के समवेत होते ही उसकी कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गयी। नये संसद भवन में मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही का पहला दिन था और कार्यवाही की शुरूआत सवा दो बजे से होनी थी। सभापति ने सही सवा दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए कहा कि वह सदन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण विचार विमर्श के लिए कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर रहे हैं।

'महिला आरक्षण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनीति से ऊपर उठने, अपनी बात कहने और महिला आरक्षण विधेयक को संसद से पारित कराने का समय आ गया है। कांग्रेस उन्हें बिना शर्त समर्थन की पेशकश करती है।''

गांधी ने महिला आरक्षण के संबंध में मोदी को 16 जुलाई 2018 में लिखे पत्र को भी पोस्ट किया है, जिसमें वह संसद में महिलाओं को आरक्षण देने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री से उसी साल मानसून सत्र में ही महिलाओं को आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित कराने की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी जय राम रमेश ने भी इस एक्स पोस्ट पर डाला है और कहा है, ''कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फ़ैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी।''

नए संसद भवन में सबसे पहले...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विरोधस्वरुप, नये संसद में पहले ही दिन, पहली ही बैठक के बीच कांग्रेस सांसदों के वैल में जाने के प्रयास से कुछ ही क्षण पूर्व, प्रधानमंत्री ने 128 वें संविधान संशोधन विधेयक पर सर्वसम्मति के लिए सदन का आव्हान किया। मेघवाल ने विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा, ''संसद के काम-काज की संशोधित सूची में यह विधेयक शामिल है। यह आपके सम्मुख रखे टैबलेट्स पर भी अपलोड कर दिया गया है।'' लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नये भवन में अपनी प्रथम टिप्पणी में कहा कि, यू.पी.ए. के शासन काल में 2010 में पारित हुआ विधेयक जीवित है। चौधरी की इस टिप्पणी पर प्रतिवाद करते हुये केन्द्रीय गृहमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड चौधरी से कहा कि, या तो इसे प्रमाणित करें या फिर अपनी टिप्पणी को वापस लें।

अधीर रंजन चौधरी को अपनी टिप्पणी को प्रमाणित करने की चुनौती देते हुये, गृहमंत्री ने कहा, ''पूर्ववर्ती विधेयक राज्यसभा ने 9 मार्च, 2010 को पारित किया था। राज्यसभा ने इसे लोकसभा में भेज दिया था तथा यह लोकसभा की सम्पत्ति बन गया था और अन्ततोगत्वा 18 मई, 2014 को लोकसभा के भंग होने के साथ ही, यह रद्द हो गया था।'' शाह ने चौधरी की इस टिप्पणी पर भी उन्हें चुनौती दी कि, यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था तथा राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। नया संसद भवन पुराने दुर्भाव एवं रुखेपन का साक्षी बन गया, जब शाह ने कहा, ''अधीर रंजन की दोनों टिप्पणियाँ तथ्यात्मक रुप से गलत हैं तथा वे या तो प्रमाणित की जानी चाहिये, या वापस ली जानी चाहिये।'' इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि, यह विधेयक महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले विकास को लेकर उनकी सरकार के संकल्प को मजबूत करेगा। अति महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों एवं लोकसभा चुनाव से पूर्व, देश की आधी आबादी को आकर्षित करने वाले कदम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, ''राजनीति में महिलाओं का योगदान तथा नीति-निर्माण में उनकी उपस्थिति बढ़नी चाहिये।'' इस विधेयक में वही प्रावधान हैं जो पूर्व विधेयक में थे। मेघवाल ने कहा कि, इस विधेयक में संविधान के चार अनुच्छेदों के संशोधन शामिल हैं- दिल्ली विधानसभा की एन.सी.टी. में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाला अनुच्छेद 239 ए.ए., लोकसभा में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण के लिये अनुच्छेद 330 ए, राज्य विधानसभाओं महिलाओं के एक -तिहाई आरक्षण के लिये अनुच्छेद 332 ए तथा 15 साल तक महिला आरक्षण दिये जाने तथा संसद को इस अवधि को बढ़ाये जाने का अधिकार देने के लिये अनुच्छेद 334ए।

इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद, लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षित हो जायेंगी। यह विधेयक अगली जनगणना, जो 2026 से पहले नहीं होगी, के बाद होने वाले प्रथम परिसीमन की कवायद के बाद ही लागू होगा। इस विधेयक में, हर परिसीमन के बाद, महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें रोटेशन से तय किये जाने का प्रावधान किया गया है। 2026 में, परिसीमन की वर्तमान सीमा हटने के बाद, यह आरक्षण कोटा 2029 के लोकसभा चुनावों तक लागू होने की संभावना है। विधेयक, कोटा के अंदर कोटा प्रदान करता है: लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला- आरक्षण के तहत एक -तिहाई सीटें एस.सी./एस.टी. के लिये अलग रखी जायेंगी।

इससे पूर्व, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किए जाने की अटकलों के बीच कहा कि महिला आरक्षण विधएयक ''हमारा है।''

कांग्रेस ने सोमवार को इस कथित कदम का स्वागत किया था तथा कहा था कि, पार्टी लम्बे समय से इसकी मांग कर रही थी। मंगलवार को संसद में प्रवेश करते समय, उससे इस विधेयक के बारे में पूछे जाने पर, श्रीमती गांधी ने कहा था, ''यह हमारा है, अपना है। एक दिन पूर्व, एक्स पर डाली गई अपनी एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था, ''हम केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कथित निर्णय का स्वागत करते हैं तथा हमें विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा है।'' उन्होंने कहा था, ''इसे गोपनीयता के पर्दे में रखे जाने के बजाय, विशेष सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह चर्चा हो सकती थी तथा सर्वसम्मति बनाई जा सकती थी।'' वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरम ने कहा कि, अगर सरकार मंगलवार को महिला विधेयक पेश कर देती है तो यह ''कांग्रेस तथा यू.पी.ए. सरकार में शामिल उसके मित्र दलों की जीत'' होगी। यू.पी.ए. शासन काल में, यह विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हो गया था। लेकिन यह लोकसभा में नहीं गया था।

यह कहना निष्पक्षतापूर्ण होगा कि विधायिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत राजनैतिक आरक्षण उपलब्ध कराये जाने का श्रेय भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही जाता है। कांग्रेस ने प्रक्रिया की पहल की तथा इसे कानून बनाने की अनेक कोशिशें कीं तथा भाजपा ने अन्ततः इस मुद्दे को हाथ में लिया है, बशर्ते यह संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाये।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908